छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दा.अ.क्र.- 682/96

फगुवा @ फ़गनूराम गोंड उम्र- 35 वर्ष पिता- सुकालू निवासी- कोरोड़ा पुलिस चौकी विश्रामपुर हा॰मू॰ -पेंड्राकला जिला रायपुर छ॰ग॰ ----------अपीलार्थी

बनाम

छ॰ग॰ शासन द्वारा थाना मैनपुर ----------प्रथ्यर्थी

अपीलार्थी के लिए - श्री सूर्यकांत मिश्रा, अधिवक्ता

शासन के लिए - श्री आलोक बख्शी, अधिवक्ता

युगल पीठ

माननीय न्यायमूर्ति एल.सी. भादू

माननीय न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20/12/2005

अपीलकर्ता की ओर से श्री सूर्याकांत मिश्रा, अधिवक्ता तथा शासन/प्रत्यर्थी की ओर से श्री आलोक बख्शी, शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत हुए।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के पश्चात मौखिक निर्णय पारित किया गया।

केंद्रीय जेल, रायपुर के अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत, इस अपील द्वारा अभियुक्त फगुवा @ फगनूराम गोंड ने दिनांक 22 मार्च 1996 को पारित निर्णय की वैधता को चुनौती दी है, जो कि सत्र प्रकरण क्रमांक 112/95 में, रायपुर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, इस प्रकार है कि, मृतक बनसिंह का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी पुत्री दुखियारिन बाई अपने पति फगुवा अभियुक्त के साथ मृतक के घर मे निवास कर रही थी। अभियुक्त, जो मृतक का दामाद था, मृतक पर यह दबाव बना रहा था कि वह अपनी भूमि या तो उसके नाम या दुखियारिन बाई के नाम कर दे, किंतु मृतक ने अभियुक्त की बात मानने से इनकार कर दिया। दिनांक 06-02-1995 की संध्या को जब दुखियारिन बाई एवं अभियुक्त बाजार से लौटे, तब अभियुक्त ने मृतक से कहा कि वह मेहनत करके कमाता है और मृतक शराब पी रहा है। अभियुक्त की बात सुनकर मृतक ने कहा कि चूंकि भूमि उसकी है, अतः वह अपने अनुसार भूमि का उपयोग करेगा। यह सुनकर अभियुक्त अत्यधिक क्रोधित हो गया और अचानक चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर मृतक बनसिंह के सिर एवं शरीर पर प्रहार

कर दिया। इसके पश्चात अभियुक्त जलती लकड़ी फेंककर खलिहान की ओर चला गया। बनसिंह को कारित हुई चोटों के कारण रक्तस्राव प्रारंभ हो गया। रात्रि में मृतक को घर पर उपचार दिया गया तथा प्रातःकाल उमृत बाई ने ग्राम के पटेल अनरुराम को सूचित किया। कुछ समय पश्चात बनसिंह की मृत्यु उपर्युक्त चोटों के कारण हो गई। उमृत बाई ने दिनांक 07.02.1995 को शाम लगभग 5:15 बजे थाना मैनपुर में शिकायत दर्ज कराई।

प्रकरण दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रदर्श पी-9 के अंतर्गत शव पंचनामा तैयार किया। बनसिंह के शव को शवपरीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैनपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-12) द्वारा शवपरीक्षण किया गया एवं उन्होंने शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 तैयार किया। अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात जलती हुई लकड़ी को प्रदर्श पी-2 के अंतर्गत जब्त किया गया। सादी मिट्टी तथा रक्त रंगी मिट्टी को क्रमशः प्रदर्श पी-4 एवं पी-5 के अंतर्गत जप्त किया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया।

जांच पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय रायपुर को उपार्पण किया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश को अंतरण पर प्राप्त हुआ। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने हेतु कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लिया गया, जिसमें उसने अभियोजन के समस्त साक्ष्य को अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया, जैसा कि इस निर्णय की कण्डिका क्रमांक 1 में वर्णित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बनसिंह की मृत्यु के मानव वध की प्रकृति के तथ्य को विवादित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उमृत बाई (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त ने मृतक के सिर के पार्श्व भाग पर जलती हुई लकड़ी से प्रहार किया था। दुखियारीन बाई (अ.सा.-8) ने उमृत बाई के कथनों की पुष्टि की। डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-12) जिन्होंने शव परीक्षण किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने बनसिंह का शव परीक्षण किया और पाया कि मृतक के सिर पर कुचलने की चोट थी, बाएं नेत्र के नीचे जलने के चिह्न थे, दाहिनी भौंह पर फटी हुई चोट थी तथा बाएं कंधे एवं दाहिने कंधे पर भी चोटें थीं। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थीं। बनसिंह की मृत्यु मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण उत्पन्न आघात (शॉक) से हुई थी तथा खोपड़ी की बाईं पार्श्व हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। डॉक्टर का प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 है। अतः उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षियों एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह स्थापित होता है कि बनसिंह की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

जहाँ तक अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा बनसिंह के साथ मारपीट किए जाने की बात है, उसे अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उमृत बाई (अ.सा.-1) एवं दुखियारीन बाई (अ.सा.-8) घटना की चक्षुदर्शी साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि

अभियुक्त ने जलती हुई लकड़ी से मृतक पर प्रहार किया, जिससे मृतक को उक्त चोटें आईं और उक्त तथ्य डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-12) द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य से संतुष्ट होते हैं, जिन्होंने मृतक के शरीर पर छह चोटों का उल्लेख किया है। अतः यह स्थापित होता है कि अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता है।

अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक को शराब पीने की आदत थी और वह शराब खरीदने एवं पीने हेतु भूमि बेच रहा था, इसलिए अभियुक्त ने उसे सलाह दी कि वह भूमि को उसके नाम या उसकी पुत्री के नाम हस्तांतरित कर दे और संपत्ति को व्यर्थ न करे। इस पर मृतक बनसिंह ने उत्तर दिया कि भूमि उसकी है और वह उससे जैसे चाहे वैसे व्यवहार करेगा, जिससे अभियुक्त क्रोधित हो गया और अचानक उसने जलती लकड़ी उठाकर मृतक पर प्रहार कर दिया बिना यह आशय रखे कि वह अपने ससुर की मृत्यु कारित कर देगा।

अतः, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II से ज्यादा का अपराध गठित नहीं होता है।

इसके विपरीत, श्री आलोक बक्शी, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने शासन/प्रत्यर्थी की ओर से विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

श्री सूर्यकांत मिश्रा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क का विशलेषण करने के लिए हमने उमरित बाई (अ.सा. -1) एवं दुखियारीन बाई (अ.सा.-8) तथा चिकित्सकीय साक्ष्य का अवलोकन किया। उमरित बाई ने अपने साक्ष्य में कहा कि जब मृतक ने कहा कि वह संपत्ति के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि वह संपत्ति उसकी है, तो अभियुक्त ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर मृतक के सिर के पार्श्व भाग पर प्रहार किया, उसका पति (मृतक) नशे की हालत में था। मृतक और अभियुक्त के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था, परंतु अचानक, उसका दामाद (अभियुक्त) उसके पति पर हमला कर दिया है और अभियुक्त घटना स्थल से भाग गया है। चोट लगने के बाद मृतक ज़मीन पर गिर गया और उक्त चोटों से रक्तस्राव होने लगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह साक्ष्य इस ओर इंगित करता है कि मृतक और अभियुक्त के बीच कोई रंजिश नहीं थी। मृतक को शराब पीने की आदत थी और वह शराब के लिए ज़मीन बेचता था, अतः घटना वाले दिन अभियुक्त ने मृतक से कहा कि वह ज़मीन को हस्तांतरित कर दे और उसे बर्बाद न करे। मृतक ने उत्तर दिया कि ज़मीन उसकी है और वह ज़मीन का जैसा चाहे वैसा उपयोग करेगा। उस समय मृतक नशे की हालत में था क्योंकि उसने शराब का सेवन किया था, और यही बात अभियुक्त को क्रोधित कर गई,अभियुक्त ने अचानक चूल्हे से जलती लकड़ी उठाई और मृतक पर प्रहार कर दिया।उपरोक्त साक्ष्य इस ओर इंगित करता है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुए झगड़े में अभियुक्त ने जलती लकड़ी से अपने ससुर मृतक पर हमला किया और यह कार्य आवेश में किया गया था । मृतक को अस्पताल नहीं ले जाया गया और सुबह उसकी मृत्यु हो गई।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा अपने ससुर की हत्या किए जाने की कोई पूर्वनियोजित आशय नहीं था। हमारे विचार में, अभियुक्त का

यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। फलतः, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-II) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है। फलस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने तथा उसके आधार पर दिए गए दंड को निरस्त किया जाता है और उसके स्थान पर अभियुक्त को धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा उसे दस वर्षों के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। आरोपी दिनांक 08-02-1995 से अभिरक्षा में है, जिसे शासन/ प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है। अतः, अभियुक्त पहले ही अधिरोपित दण्ड भुगत चुका है। यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो, उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सहीं

एल. सी. भादू

(न्यायमूर्ति)

सहीं

वी. के. श्रीवास्तव.

(न्यायमूर्ति)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय** गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन **का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - Advocate Tarandeep Singh Gumber